बैलेट का सवाल इस लिये आया है कि इस कानून के तेहत आप्टिंग-आउट की जो बात थी, मेरा ख्याल था कि बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन्ज की सदस्यता में इज़ाफा होगा। और हो सकता है कि 15-20 प्रतिशत लोग, उससे भी कम लोग लिख कर कहेंगे कि हम किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं बनना चाहते। उस के बाद सवाल यह आयेगा कि अगर पांच प्रतिशत का सदस्यता में फर्क है, तो उसको लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है। इस लिये अच्छा होगा कि जो लोग ट्रेड यूनियन के सदस्य बने हैं, उन सभी लोगों का बैलेट किया जाए और हर एक यूनियन को मौका दिया जाय, क्योंकि सदस्यता में केवल 5 प्रतिशत का फर्क है इसलिये जब सभी लोग वोट देंगे, तो उससे जो यूनियन चुनी जायेगी, उस को व्यापक मजदूर समर्थन हासिल होगा और सोल-बारगेनिंग एजेन्ट के नाते जो काम करना है, उसके लिये आधार तैयार होगा। इसलिये मैंने मतदान की बात की थी।

बाकी जितनी शर्तें हैं, उनका तो किसी ने विरोध नहीं किया, केवल फीस को कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके बारे में मतभेद है। फिर जो छोटी ट्रेड यूनियन है, जो सोल बारगेनिंग एजेन्ट नहीं बनेगी, उनको क्या अधिकार दिया जाय, इसके बारे में कोड में या बम्बई इण्डस्ट्रीयल एक्ट में प्रावीजन है। तमाम मजदूरों की ओर से वेतन आदि सम्बन्धी जो बातें हैं, वह मान्यता प्राप्त यूनियन करे, लेकिन जो व्यक्तिगत छोटे विवाद हैं उन के बारे में जो अल्प संख्यक यूनियन है, उसको अधिकार दिया जा सकता है, और भी अधिकार उसको दिये जा सकते हैं।

इस लिये अगर मंत्री महोदय, इस को इस शक्ल में विरोध करते हैं, तो जो मैंने सुझाव दिये हैं कि इसे को परिचालित कीजिये, राज्य सरकारों के पास भेज दीजिये, नेशनल लेबर कमीशन और ट्रेड यूनियन संगठनों के पास भेज दीजिये, तो मैं अपने प्रस्ताव में परिवर्तन करने के लिये तैयार हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has partially agreed; he will circulate the proceedings of the Bill—not circulation in the sense in which you are proposing.

SHRI MADHU LIMAYE : I am not withdrawing.

SHRI HATHI : It will mean a lot of things. This Bill will not suffice. We shall send this to the Labour Commission. So I request him to withdraw this Bill.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन संगठनों और इण्डियन लेबर कमीशन से बात करने के पश्चात् वह स्वयं अनिवार्य मान्यता देने सम्बन्धी बिल लायेंगे।

SHRI HATHI : After this discussion, we shall send this to them, to the National Labour Commission.

We have actually referred this matter to the National Labour Commission and whatever their recommendations, we shall bring forward a Bill. There is no question about it. After considering the report of the National Labour Commission, we shall certainly do it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the hon. Member leave of the House for withdrawing the Bill ?

The Bill was, by leave, withdrawn.

17.30 hrs.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of sections 292, 293 etc.)

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Sir, I beg to move :

> "That the debate on the motion 'That the Bill further to amend the Indian Penal Code and to provide for matters incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration', which was adjourned on the 29th March, 1968, be resumed now."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That the debate on motion 'That the Bill further to amend the Indian

[Mr. Deputy-Speaker]

Penal Code and to provide for matters incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration', which was adjourned on the 29th March 1968, be resumed now,".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall take up the further consideration. The time allotted was one hour and 30 minutes, but already the time taken was two hours and nine minutes.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा एक सुझाव है। यहाँ पर संसद कार्य मन्त्री और कानून मन्त्री हैं। अगर सरकार की ओर से यह कहा जाये कि यह विधेयक इस सभा की एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये क्योंकि इंडियन पीनल कोड का पुराना खण्ड है उसमें तरिवर्तन की आवश्यकता है, उसके बारे में किसी को सन्देह नहीं है, तो अगर यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो मेरा ख्याल है कि शर्मा जी ने एक अच्छा विधेयक हमारे सामने रखा है, उस पर हम विचार कर सकते हैं उसको उदार बनाने की दृष्टि से जिसके लिये यहाँ पर मेरा ख्याल है सभी तरफ के लोगों ने मांग की है इस विधेयक की धाराओं को उदार बनाया जाये। और पुराना जो कानून है अश्लीलता के बारे में उसमें तब्दीली की जाये। तो अगर सिलेक्ट कमेटी बनती है तो उसमें इस पर विचार किया जा सकेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये वे सहमत हो जायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Fortunately, after a long time, and full recovery, the Law Minister is here in the House today. Last time, when we debated this, there was, almost unanimity on this point that it should be modified and further considered : it need not be dropped or opposed. That was the general impression. So, he is making a motion for reference to Select Committee. If you accept it...

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : This question has been referred to the Select Committee in the Rajya Sabha and careful deliberation is given to it,

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Rajya Sabha made certain verbal amendments. The basic thing that was raised here is this. The original clause regarding obscenity was drafted long, long ago and the suggestion was that this tinkering will not do. In the light of the changed circumstances, a basic change is called for. That was the general consensus in the House.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : I think it can go to the Select Committee.

MR. DEPUTY SPEAKER : We Will continue. In between, you may make a motion.

SHRI D. C. SHARMA : I think the hon. Minister of Parliamentary Affairs will give the names of Members of the Select Committee and than it will go to the Committee and come before the House again. Can I give the names now or shall I give them later ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is preparing the list in consultation with the Law Minister, because the Government has accepted the suggestion of Shri Madhu Limaye. In between let us continue the debate till the motion is ready.

श्री० स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस बिल की भावनाओं का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हम लोग कोई भी यह नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा अश्लील पोस्टर हो या पैम्फ्लेट हो जिससे हमारे नौजवानों का चरित्र गठन होने के बजाय वे और खराब हो जायें। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। पिछली मर्तबा जब इस पर बहस शुरू हुई थी तो बहुत से सदस्यों ने इसकी मुखालिफत की थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तब इस बात पर भी विचार होना चाहिये कि कहीं इस विधेयक का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं किया जायेगा। आप जानते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में कला के रूप में बहुत सारे पुराने मन्दिर हैं चाहे वह खजुराहो के हों या कोणार्क के हों या कहीं

दूसरी जगह के हों । सारे देश और विदेश के लोग वहाँ पर जाते हैं और उस कला को देखते हैं। अगर आप उनको देखें तो अश्लीलता है लेकिन अश्लीलता के रूप में भी दूसरे रस की भावनायें उनमें झलकती हैं। अंकटाड में विदेशों से जो सदस्य आये थे वे उनको देख कर दंग रह गये कि हमारे देश के मन्दिरों में इतनी अच्छी मूर्तियाँ भी बन सकती हैं। यदि आज उन तस्वीरों को पोस्टर के रूप में निकाला जाये तो क्या वह अश्लील होगा। पिछली मर्तबा जब इसपर विमर्श हो रहा था तब कहा गया था कि कुछ ऐसे पोस्टर निकाले गये देश में जो अश्लीलता से भरे हुये थे। अगर मान लीजिये, विज़िट खजुराहो के नाम से कोई पोस्टर निकले तो वह अश्लील होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस दिल्ली शहर में बड़े-बड़े रेस्टौरेन्ट्स हैं जिनमें आज भी कैबरे हो रहा है, जिस प्रकार से विदेशों के नाइट क्लब्ज होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्ट्रिप टीज़ होता है और लोग जाकर देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह अश्लीलता नहीं है ? अगर वह अश्लील नहीं है तो फिर कोई पोस्टर हो या पैम्फ्लेट हो वह किस प्रकार से अश्लील कहा जायेगा ? इसलिये मेरा सुझाव है कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जाये और वहाँ पर इन बातों पर विचार विमर्श किया जाये। केवल भावनाओं को ही नहीं बल्कि इसका कितना नाजायज़ फायदा लोग उठा सकते हैं उसको भी देखा जाये।

चरित्र गठन के लिये जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसी चीजें हमारे सामने, खासकर नौजवानों के सामने ना आयें जिनको देख कर या जिनको सुनकर या जिनको पढ़कर उनका चरित्र गठन होने के बजाय वे और नीचे की तरफ चले जायं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में ऐसा साहित्य निकाला जाय, ऐसी अच्छी-अच्छी फिल्में बनें जिनको देख कर चरित्र गठन हो सके। वरना आज दिल्ली में ही जो हालत है उसको देखकर तो मैं दंग रह जाता हूँ। छोटे-छोटे बच्चों से आप पूछें कि कहाँ जा रहे हैं तो वह कहेंगे कि जैम सेशन में जा रहे है। जैम सेशन में ट्विस्ट और शेक चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इस देश में यह शेक चलता रहा तो इस देश की जो बुनियाद है वह भी शेक कर जायेगी। उसको रोकने की हमें कोशिश करनी चाहिये। तो जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है, वहाँ पर केवल इसके कानूनी पहलू को ही न देखा जाये बल्कि इसके दूसरे पहलुओं को भी देखें।

17.39 hrs.

[Shri G.S. Dhillon *in the Chair*].

कोई नुकता चीनी करने की बात नहीं है, लेकिन मैं शर्मा जी की भावनाओं की दाद देता हूँ। शर्मा जी जब जवान थे तभी उन्हें इस विधेयक को लाना चाहिये था लेकिन उन्हें अब मालूम हुआ कि अश्लीलता क्या है.........

श्री दी० चं० शर्मा : अभी तो में जवान हूँ।

श्री सा० मो० बनर्जी : शर्मा जी हमेशा जवान रहे और उन्होंने हमेशा यही कहा : हैमौत इस कदर करीब, मुझे न आयेगी यहां नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ।

श्री शिव नारायण (वस्ती) : सभापति महोदय, चरित्र गठन के बारे में जो बिल शर्मा जी ने पेश किया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। शर्मा जी मेरे गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे फादर भी हैं और उनसे हम लोगों को यही आशा थी। उन जैसे सुयोग्य और पंडित ने जो यह बिल पेश किया है मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत की जैसी क्रिटिकल दशा है उसके लिए वह नितान्त आवश्यक है।

आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और रेस्टोरेंट में बैठ कर मौज बहार उड़ाते हैं। अभी पिछले साल मैं गाज़ियाबाद जा रहा था तो मैंने दिल्ली शहर के कुछ होटलों की हालत देखी और मेरे मित्र बनर्जी ने जो उसका ज़िक्र किया है वह ठीक ही किया है।

[श्री शिव नारायण]

मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट में कोई 50 लड़के बैठे थे, कोई सिग्रेट पी रहा था तो कोई बीड़ी पी रहा था, कोई चाय पी रहा था और नाना प्रकार की अनापशनाप बातें बक रहे थे। उन लड़कों के वहां से चले जाने के बाद मैंने उस दुकानदार से पूछा, उस होटल वाले से पूछा कि क्या यह समझता है कि यह लड़के किसकी औलाद हैं ? मैंने कहा है कि यह उनकी औलाद है जिनके कि घर ब्लैक मनी आता है, गलत पैसा आता है और यह ठीक ही कहा गया है कि जो धन जैसे आये सो धन वैसे, जाये। मैंने कहा कि यह सन्तान बिगड़ रही है क्योंकि अगर उनके पास असली गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा होता तो उसे वह मिस्यूज न करते।

मैं शर्मा जी को चरित्र गठन के सिलसिले में ऐसा बिल लाने के लिये बधाई देता हूँ। यह बिल सेलैक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है। वहां पर अच्छे अच्छे विद्वान और बड़े बड़े पंडित लोग इस पर बैठ कर विचार करेंगे और इसमें आवश्यक सुधार सुझायेंगे और देश के लिए एक अच्छी चीज वहां से सुधार कर भेजेंगे।

आज इस तरह के बिल की बहुत आवश्यकता अनुभव की जा रही है क्योंकि अश्लीलता बहुत जोरों से चारों तरफ फैली हुई है। आज सिनेमा के नग्न चित्र दृश्य, दीवार पर दिखाई देते हैं और उन फिल्मों में गाये गये अश्लील गाने हमारे छोटे छोटे बच्चे सड़कों और गलियों में गुनगुनाते हुए घूमते हैं जिससे कि मन को दुःख होता है। मन में सहसा यह विचार उठता है कि आखिर यह हमारी आने वाली औलाद क्या बन रही है ? परसों अभी एक आदमी ने हमसे यही सवाल किया तो मैंने कहा कि भाई यह आने वाली जनरेशन इस काबिल नहीं उठ रही है जो हमारे गांधी और नेहरू को रिप्लेस कर सके। जिस जमाने में गांधी और नेहरू ने स्वाधीनता संग्राम छेड़ा था तो स्कूल, कालेजों में नौजवानों में एक जोश की आंधी उमड़ पड़ी थी और उनकी अवाज पर हजारों, लाखों ही नवयुवक आजादी की लड़ाई में अपना पार्ट अदा करने के लिए जो एक जोश की भावना लेकर निकल आये थे आज वह बात देखने को नहीं मिलती है। आज तो जैसा मैंने कहा नवयुवकों में बस मौज उड़ाने और फैशनपरस्ती का जोर है। सिनेमा जाइये, चाकलेट खाइये, चाय, काफ़ी पीजिये, सिग्रेट का धुआं उड़ाइये, इन्हीं चीजों का प्रचार आजकल के हमारे नौजवानों में देखने को मिल रहा है। यहां पर मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस बारे में थोड़ा हमारे पोलीटीशियंस भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वह इन बच्चों को मिस्यूज करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाली संतान को ठीक बनाने का सबको यत्न करना चाहिए ताकि वह एक आदर्श नागरिक बन कर सामने आ सकें। हमारे देश में सदा से चरित्र निर्माण का महत्व रहा है। हम अध्यात्मवाद में विश्वास करते हैं खाली भौतिकता के पीछे हम लोग नहीं दौड़ते हैं। हम ब्रिटिश पीपुल की तरह यह नहीं कहते हैं कि बस खाओ, पीओ और जिंदगी के मजे उड़ाओ। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इन प्राचीन मान्यताओं पर अमल करें और हम यह शियर भौतिकवाद की मैंटेल्टि ग्रहण न करें और अपनी उसी पुरानी संस्कृति के अनुसार चलें। उन्हीं अपनी पुरानी परम्पराओं पर हम अपने देश को ले चलें।

मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स० सः पंडितः।।

हमें इस प्रकार से अपने देश को ले चलना है और अपने नवयुवकों को ढालना है मैं, शर्मा जी ने जो बिल पेश किया है उसका समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सेलैक्ट कमेटी जिस रूप में इसे सुधार करके भेजेगी उसके अनुरूप जो कानून बनेगा उसके अनुरूप देश आचरण करेगा।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जब भी अश्लीलता का प्रश्न उठता

है तो सीधे खुजराहों, कोणार्क का नाम लिया जाता है। कहा यह जाता है कि वहां भी नंगी मूर्तियां हैं तो फिल्म पोस्टरों में अगर नंगी तस्वीरें छापी जांय तो इसमें क्या अश्लील बात है ? अब नग्नता अपने आप में अश्लील नहीं होती। प्रश्न यह है कि कोई भी तस्वीर, कोई भी साहित्यिक लेख अश्लील है अथवा सुन्दर है यह एक कलात्मक प्रश्न है। अमरीका के पोस्ट मास्टर ने जब यह फैसला किया कि लेडी चैटरलीज़ लवर नामक पुस्तक अश्लील है तो प्रश्न यह उठा कि क्या पोस्ट मास्टर यह फैसला कर सकता है कि एक साहित्यिक कृति वास्तव में साहित्यिक है, सुन्दर है अथवा वह अश्लील है ? इसलिए मैं जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि सेलैक्ट कमेटी इस प्रश्न में जायेगी वह यह है कि यद्यपि यह हम इंडियन पेनेल कोड में एक संशोधन ला रहे हैं लेकिन प्रश्न हमेशा यह रहेगा कि किसी भी कृति को अश्लील घोषित किया जाय या अश्लील न घोषित किया जाय इसका फैसला करने वाला व्यक्ति कौन होगा ? क्या एक मजिस्ट्रेट इस योग्य है और उसमें यह क्षमता है कि वह तय करे कि यह कला की कृति है अथवा यह अश्लील है ? जब तक हम इस प्रश्न को तय नहीं करेंगे और सेलैक्ट कमेटी इस प्रश्न में नहीं जायेगी तब तक यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। कोई फोटोग्राफ़ या कोई लेख या कोई किताब या कोई फिल्म अथवा पोस्टर वास्तव में वह कलात्मक है या अश्लील है तो मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता था क्योंकि दो मत व्यक्त किये जाते हैं एक तो वह लोग होते हैं जो कि एक-दम प्योरिटन आउटलुक रखने हैं और ज़रा ज़रा सी बात पर नाक, भौं सिकोड़ लेते हैं और दूसरे वह लोग होते हैं जो कि आधुनिकता के नाम पर मनोरंजन के नाम पर सबको छूट देना चाहते हैं चाहे वह नग्न नृत्य हो, चाहे वह पोर्नोग्राफ़िक लिटरेचर हो या सैक्सी लिटरेचर हो सबको वह आधुनिकता के नाम पर छूट देना चाहते हैं और कहते हैं कि वह पुराने घिसे, पिटे नैतिक मूल्य छोड़ो, अब ज़माने के साथ वह मूल्य बदल गये हैं, पुराने जमाने के उन दकियानूसी विचारों को छोड़ो, तो मेरा कहना है कि यह दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। यह प्रश्न आधुनिक मूल्यों का या हमारी प्राचीन संस्कृति का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि किस चीज को सुन्दर माना जाय और किस चीज को अश्लील माना जाय। हमारी सुन्दरता की परिभाषाएं, सौन्दर्य की परिभाषा युग युग मे बदलती रही है और अलग अलग अधिकारपूर्वक लोगों ने अलग अलग मत इस पर व्यक्त किये हैं लेकिन बुनियादी बात इसके लिए यह मानी गई है कि जिस चीज को पढ़ने सुनने या देखने से मनुष्य को आनन्द प्राप्त होता है उसका उत्थान होता है, उसका मन ऊपर उठता है और वह विशाल बनता है वह सुन्दर चीज और जिस चिज को देखने, सुनने या पढ़ने से मनुष्य नीचे गिरता हो, उसकी पाशविकता उभरती हो, उसका पतन होता हो और वह संकुचित बनता हो तो वह चीज अश्लील है, इस परिभाषा पर अगर हम दृष्टिपात करें तो यह फैसला किया जा सकता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है यह फैसला मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। यह फैसला कोई जज भी नहीं कर सकता है। जहां तक सज़ा देने का सवाल है जज उसका फैसला कर सकता हैं लेकिन आया वह कृति अश्लील है अथवा अश्लील नहीं है इसका फैसला करने के लिये इस प्रकार का एक योग्य अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। यहां पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि कुछ कृतियां और कुछ लेख और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। दिल्ली की गलियों में, बम्बई के फुटपाथों में आप देखेंगे कि जो किताबें बिकती हैं खुलेआम उनके बारे में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि वह अश्लील नहीं है। उनके कुछ वाक्य पढ़ लेने के बाद ही कोई भी यह

[श्री शिव नारायण]

कह देगा कि यह पोनोग्राफ़ी है और इसको बंद किया जाना चाहिए। इसी तरह यह फिल्मी पोस्टर्स जैसे दीवारों आदि पर लगते हैं इन्हें देखते ही कोई भी आदमी चाहे वह कितना ही आधुनिकता का दावा क्यों न करता हो लेकिन उन्हें देखते ही वह नाक, भौं सिकोड़ लेगा, उसके मन को झटका लगता हैं और उसकी भावनाओं को झटका लगाता है। इस प्रकार की चीजें हैं जो कि आधुनिकता के नाम पर आज हमारे देश में फैल रही हैं चाहे वह क्लबों में हो, होटलों में हों, जासूसी उपन्यासों की तौर पर हों या सिनेमावों के तौर पर हों, मुख्तः जो हिंसात्मक प्रवृत्तियों को, पाशविकता को और सैक्स को भड़काती हों ऐसी सभी चीज़ों पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। इस मामले में मैं अधिक उदारता का पक्षपाती नहीं हूँ बल्कि अधिक सख्ती का हामी हूं क्योंकि इन चीजों को रोकने के लिए सख्ती की जरूरत है। यह कोई कला नहीं है और इस तरह का भोंडा, सस्ता और घासलेटी साहित्य जो देश में बन रहा है या जो ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कि हमारे नौजवानों को बिल्कुल बुरी तरह से भ्रष्ट कर रही हैं, उनकी आत्माओं को भ्रष्ट कर रही हैं, उनको लक्ष्यहीन और उद्देश्यहीन बना रही हैं आधुनिकता के नाम पर भड़कीली चमक दमक की चीजों की तरह ले जा रही हैं उन सभी चीज़ों पर बहुत सख्ती से रोक लगनी चाहिए। उन की तरफ़ बहुत सख्ती रुख अपनाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी जहां अश्लीलता के बारे में विचार करते हुए एक व्यापक और विशाल दृष्टिकोण का परिचय दे वहां साथ ही साथ यह भी ख्याल रक्खे कि जहां साहित्य और कला की कृतियों पर उदार दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है वहाँ यह भोंडा, व्यापारिक और बाजारू साहित्य और जो दूसरी गंदी चीजें बिक रही हैं उन पर सख्त रुख अपनायें। मुझे आशा है कि सेलेक्ट कमेटी इन सब चीजों को अपने ध्यान में रख कर इस बिल के ऊपर विचार करेगी और उपयुक्त सिफारिश करेगी। धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : सभापति महोदय, मैं शर्मा जी के इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह बिल बड़े अनुभव के आधार पर लाया गया है। जहां तक आज यह अश्लीलता की बुराई का सवाल है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अश्लीलता आज जिस क्षेत्र में देखिये, चाहे वह किताबों में हो, क्लबों में हो, होटलों में हो, सिनेमावों में हो या फोटुओं में हो यह अश्लीलता बहनों के ही बारे में होती है। लिखने पढ़ने सब चीजों में औरतों के ऊपर ही यह अश्लीलता होती है। आज की दयनीय अवस्था देख कर मुझे यह प्रतीत होता है कि हमारे पुरुष भाइयों के पौरुष में कुछ कमी आ गयी है वरना इतिहास इस बात का साक्षी है कि रामायण काल में राम, लक्ष्मण द्वारा शूपर्णखा के नाक, कान काट लिये जाने और उसे अपमानित करने पर उसके भाई लंकापति राजा रावण ने राम को युद्ध में ललकारा और वह उनसे उस अपमान का बदला लेने को तैयार हो गया था लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हर क्षेत्र में औरतों की बेइज्जती होती है, लिखने वाले कैसा कैसा अश्लील औरतों के लिए लिख देते हैं लेकिन कोई इन सब चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाता नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चों का दिल खराब हो जाता है और हमारे प्यारे बच्चों के कुल जीवन में अशान्ति हो जाती हैं। अपने जीवन में बच्चे सबको प्यारे होते हैं, मां बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कल बच्चे बहुत अधिक खराब हो रहे हैं। जब इस सिलसिले में श्री शिव नारायण बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा।

जब मैं आज पार्लियामेन्ट हाउस आ रही थी तब मैंने बहुत से बच्चों को देखा। कम से कम 50 बच्चे थे जो कि बिल्कुल लुच्चों से

दिखाई दे रहे थे। आज इन लुच्चे बच्चों को सिनेमा जाने के लिये पैसा चाहिये, सिगरेट बीड़ी के लिये पैसे चाहिये, खाने के लिये पैसा चाहिये। आखिर यह सब कहां से आये ? इसके लिये वह चोरी डकैती करना शुरू कर देते हैं। यही लोग हैं जो हमारे अच्छे बच्चों को खराब चीजें सिखलाते हैं। आज इन खराब बच्चों को ट्रेंड करने वाले भी बहुत से लोग और इन्स्टिट्यूशन्स हैं जिनके कारण बच्चों की आदतें खराब हो जाती हैं। इसलिए आज जो चीजें चल रही हैं, उनको रोकना हमारा पहला फर्ज है।

मैं अदब से अर्ज करूंगी कि जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेगा तब इसमें इस तरह की सब चीजें लाई जानी चाहियें और उसमें तजुर्बेकार लोगों को रक्खा जाना चाहिये। एक दो बहनों को भी उसमें रक्खा जाना चाहिए जो कि अपनी राय वहां दें। आज इन सब बातों को तुरन्त रोकना है और इस के लिये कानून होना चाहिये।

मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह अमल में लाया जायेगा।

SHRI D. C. SHARMA : Sir, I am grateful to all the persons who have taken part in this very illuminating debate. I thank specially Members who are called Members of the Opposition. They showed greater interest in this Bill than the Members of the Congress Party. Of course, today the role was changed. Today I found that the Congress Members took more interest than the Members of the Opposition.

I must say that this debate has been very, very fruitful. (SHRI PILOO MODY : To whom ?) and I believe that many important points have been raised. I have been reading some literature on the subject and I think that the points that have been made on the floor of this House today and on the 29th March were such as had not occurred to many persons who had studied the subject. I think, when this Bill comes out of the Select Committee, it will be a landmark not only in the annals of the history of India but also in the annals of world history. It is because we are going to stand on the shoulders of those who have already studied this subject. We are going further than them and are going to make our contribution.

I accept the suggestion which has been made that the Bill be referred to a Select Committee and I move :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code and to provide for matters incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be referred to a Select Committee consisting of 24 members, namely :—

1. Shri Vidya Dhar Bajpai
2. Shri S. M. Banerjee
3. Shri R.D. Bhandare
4. Shri Chandrika Prasad
5. Shri Y.B. Chavan
6. Shri Tulsiram Dashrath Kamble
7. Shri S.M. Krishna
8. Shrimati Sangam Laxmi Bai
9. Shri Madhu Limaye
10. Dr. Mahadeva Prasad
11. Shri Mali Mariyappa
12. Shri Bakar Ali Mirza
13. Shri Piloo Mody
14. Shri Amrit Nahata
15. Shri K.S. Ramaswamy
16. Shri V. Sambasivam
17. Shri Dwaipayan Sen
18. Shri Shashi Bhushan
19. Shri Sheo Narain
20. Shri Vidya Charan Shukla
21. Shri R.K. Sinha
22. Shri Atal Bihari Vajpayee
23. Shri Tenneti Viswanatham
24. Shri Diwan Chand Sharma

With instructions to report by the second day of the next session."

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Are all these people going to indulge in obscenity ?

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code and to provide for matters incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be referred to a Select Committee consisting of 24 members, namely :—

(1) Shri Vidya Dhar Bajpai

(2) Shri S.M. Banerjee
(3) Shri R.D. Bhandare
(4) Shri Chandrika Prasad
(5) Shri Y.B. Chavan
(6) Shri Tulsiram Dashrath Kamble
(7) Shri S.M. Krishna
(8) Shrimati Sangam Laxmi Bai
(9) Shri Madhu Limaye
(10) Dr. Mahadeva Prasad
(11) Shri Mali Mariyappa
(12) Shri Bakar Ali Mirza
(13) Shri Piloo Mody
(14) Shri Amrit Nahata
(15) Shri K.S. Ramaswamy
(16) Shri V. Sambasivam
(17) Shri Dwaipayan Sen
(18) Shri Shashi Bhushan
(19) Shri Sheo Narain
(20) Shri Vidya Charan Shukla
(21) Shri R.K. Sinha
(22) Shri Atal Bihari Vajpayee
(23) Shri Tenneti Viswanatham
(24) Shri Diwan Chand Sharma

with instructions to report by the second day of the next session."

The motion was adopted.

SHRI D. C. SHARMA : I hope I will be the Chairman.

17.56 hrs.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Omission of section 80) by Shri Nath Pai

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill. Shri Nath Pai.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, before he moves the Bill, I want to make a submission.

The Code of Civil Procedure is being sought to be extensively amended. The Law Commission, in its 27th Report, has made a recommendation for the amendment of the Code of Civil Procedure. The Bill is ready and that Bill will be touching Section 80 also which is now sought to be deleted. In the circumstances, I would request the hon. Member either to withdraw the Bill or to postpone the consideration of the Bill so that it can be taken up later. That is my submission.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : In the first place, I am indeed very happy to see the hon. Minister of Law back in his seat and I wish him godspeed and full recovery to his health.

I am equally gratified to hear his announcement that as the main objective of my Bill is something which he has accepted in principle, if I understood him clearly, as per the recommendations of the Law Commission, the Civil Procedure Code of India needs to be amended very drastically in many vital parts. I will be ready to accept his proposal, not to withdraw it but to postpone its further consideration after just mentioning one or, two things because this is a matter which, I think, not all Members are fully aware of or are scholars of the calibre of the standing of the Law Minister.

Before I sit down saying that its further discussion may be postponed, I may tell the House what it is exactly about. This Act may be called the Code of Civil (Amendment) Act, 1967. It shall come into force at once. Section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908 shall be omitted.

I want to make only two comments before I wind up. A statutory provision for protection for the State or public officials as against the citizens is out of date. I think, this is a sentiment which will find ready acceptance by Professor Ranga and, if I may venture to hope, perhaps by Mr. Piloo Mody also. Countries which have been concerned with the maintenance of the rule of law have made progress in the direction of equating the citizen with the State, curbing bureaucratic excesses and enabling the citizens to obtain cheaply and expeditiously any relief against the State or public agencies or officers that they may be entitled to. Articles 32, 226 and 227 of the Constitution reflect a similar approach. Innumerable cases can be cited where grave prejudice is caused by section 80 of the Civil Procedure Code to plaintiffs by the rigidity of the section and other analogous statutes. This section works great hardship upon the citizen because it exposes him to the risk of being non-suited merely because of